बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निगरानी क :- /2016 निग- 3446 - II 16

दुर्गा तनय रामदयाल यादव, निवासी ग्राम मुंगवारी तह. वडामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

......निगराकार

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. चौपरिया मंदिर, प्रबंधक पुजारी मौजा विलवार तहसील वडामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

................अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

निगरानी प्रतिकूल प्रकरण क. 2B/113/2015-16 S.D.O.,वडामलहरा आदेश दिनांक 22-08-2016

महोदय,

निगराकार की ओर से प्रकरण का संक्षिप्त विवरण एवं विनय इस प्रकार है :-

(1) यह कि, भूमि स्थित ग्राम बिलवार हल्का देवपुर खसरा क. 739/1ख आवेदक निगराकार की पैतृक भूमि है जिसमें खसरा एवं खतौनी के अनुसार पैतृकता के माध्यम से आवेदक के नाम आयी है, उक्त भूमि का बगैर किसी कारण के वर्ष 2013-14 में खसरा कालम 12 में बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व किसी विधि की प्रकिया के बगैर प्रतिनिगराकार कमांक 2 का नाम दर्ज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर निगराकार द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार वाद प्रस्तुत किया था जिसमें विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गम्भीर आपत्तियों पर विचार न करते हुए वाद को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि, उक्त वाद प्रचलन योग्य नहीं है जिससे व्यथित होकर वादी/निगराकार समक्ष श्रीमान् के निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

-: निगरानी के आधार :-

(1) यह कि, वादी/निगराकार के पास सन् 1960 से लगातार सन् 2015 तक के राजस्व अभिलेख उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादी/निगराकार भू-स्वामी के रूप में दर्ज है इसके पूर्व इसके पिता के एवं पितामह के नाम भू-स्वामी के रूप में दर्ज है।

(2) यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्वेच्छया पूवर्क उक्त भूमि वादी/निगराकार के पिता के द्वारा मंदिर को दान में दी ऐसा उल्लेख अपने आदेश में किया है जो विधि सम्मत नहीं है। दान एक सीमा एवं कानून के दायरे में नहीं है। इस तरह दान की वस्तु विद्वान अधिनिरथ न्यायालय द्वारा किसी जॉच का परिणाम नहीं है जिससे खसरा की प्रविष्टि को बगैर किसी आधार के वल नहीं मिल सकता। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी नामांतरण पंजी का उल्लेख नहीं किया जिसका स्वतः फर्जी होना स्पष्ट है उस वक्त निगराकार के पिता फोत हो चुके थे इस तरह बनायी गयी नामांतरण पंजी कूट रचना का परिणाम है इस तरह उक्त राजस्व प्रविष्टियां कोई विधिक आधार नहीं रखती है।

R-3046-I/16 दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के हस्ताक्षर
27-8-18	आवेदक अभि. श्री सुनिल सिंह जादौन उप.। अना. सूचित हो। रिकार्ड प्राप्त। C.F. 17-9-18 आज्ञा से	
17-9-18	आवेदक अभि. श्री सुनील सिंह जादौन उप.। अना. क्र. 1 शासन। अना. क्र. 2 अभि. कुंवर सिंह कुशवाह उप.। रिकार्ड प्राप्त प्रकरण तर्क हेतु। C.F. 10-10-18 आज्ञा से	17-9-18
10.10.18	(1) आवेदक अभि. श्री सुनील जादौन, अनावेदक क्रमांक (1) शासन की ओर से श्री अंबर चतुर्वेदी व क्रमांक (2) की ओर से अभि. कुंवरसिंह कुशवाह के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत। (2) प्रस्तुत निगरानी S.D.O बड़ा मलहरा के प्र.क्र 2B/113/2015-16 आदेश दि. 22.08.16 के विरुद्ध दि. 06.09.2016 को प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण ग्राह्य (Admit) किया जा चुका है। (3) M.P. L.R.C 1959 की धारा 50 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 अनुसार SDO के आदेश के विरुद्ध Revision Collector Court में की जाती है। अतः सक्षम न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/12/18 को उभय पक्ष उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जावे। CF. 18/12/18 10.10.18	10-10-18; 10/10/18; 18/12/18

शाक्षेमुग्वा — 184 — फॉर्म्स — 29-8-16 — 15,000 प्रपत्र.